Case No. 455/23

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-299/MH/80/2022-RO-BH

श्री राजेश देशमुख
जिला कलक्टर,
जिला - पुणे,
आगरकर नगर,
पुणे – 411001 (महाराष्ट्र)

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषन करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक **23/05/2023 को 10:30 AM** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्द्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

<u>मामले का संदर्भ</u> :- **श्री विलास मारूती जाधव व अन्य, रा. अहिरवडे, पोस्ट् साते, तहसील मावल, जिला पुणे (महाराष्ट्र) – गांव के प्रभाशाली व्यक्तियों द्वारा आवेदकों के मकानों को दुरूस्तीकरण न करने देने तथा आवेदकों के परिवारों के साथ मार-पीट और गाली-गलौच करने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन।**

संदर्भ : **आयोग का नोटिस दिनांक 18-04-2022**

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 09/05/2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर
न्यायालय अधिकारी

मोहर

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003